

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-def.ban.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No. 07453-230410, Fax No. 07453-230244

क्रमांक एफ() एफ.सी.ए./उवस/17-18/ 13427

दिनांक :- 25/7/18

निमित्त:-

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय :- Compliance report of construction of BT road from
प्रस्ताव सं. FP/RJ/ROAD/6988/2014 (2.00 ha.)
Ramgarh Kalapatta To Karbala Laxmipura RRSMP
scheme in Rajasthan.

संदर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र क्रमांक 263 दिनांक 12.7.2018
के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रांसांगिक पत्र के संदर्भ में प्रकरण में चाही गई
सूचना निम्नानुसार प्रेषित है।

1. प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है
(संलग्न:- प्रमाण पत्र)
2. क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण भूमि उपयोगिता प्रमाण पत्र पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव के अनुरूप
ही है।

संलग्न :- उक्तानुसार

भवदीय

(राजीव कपूर)

उप वन संरक्षक
बारां

दिनांक :- 25/7/18

क्रमांक एफ() एफ.सी.ए./उवस/17-18/ 13428-30

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.) राजस्थान, जयपुर।
2. अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बारां।
3. अधिशापी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहाबाद।

(राजीव कपूर)

उप वन संरक्षक
बारां

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

रामगढ कालापाट्टा से कखला लक्ष्मीपुरा (2.00 है०)
उक्त प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 धारा 2 का
उल्लंघन नही हुआ है।


उप वन संरक्षक
बारां

O/C
